सत्यमेव जयते

न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 58 / 2023

1. श्री प्रहलाद पिता कन्हैयालाल ब्राह्मण उम्र 58 वर्ष निवासी केली तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।

................वादी

बनाम

1. श्री पुष्पकांत पिता सत्यनारायण ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी केली तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

................प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादीगण अधिवक्ता :– वादी स्वयं

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: घोषणा :–

निर्णय तिथि :– 21.09.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम व पटवार मण्डल गादोला में वादी की स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजियात खाता संख्या 673 में दर्ज आराजी नम्बर 452 रकबा 0.57 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 470 रकबा 0.07 हैक्टेयर होकर वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। यह कि वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक एवं पुस्तेनी आराजियात थी जिसका संवत 2071 से 2074 के रोटेशन में पारिवारिक आपसी बंटवारे में वादी के हिस्से में आई किन्तु सहवन से वादी की आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया। वादी द्वारा वाद पत्र के अन्त में ग्राम गोदाला की आराज़ी नम्बर 452 एवं 470 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम निरस्त कर उक्त आराजियात की वादी के पक्ष में घोषणा कर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद मंहगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 केम्प स्थल ग्राम पंचायत केली में प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:55 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर तलब किये गये। केम्प स्थल ग्राम पंचायत केली पर ही वादी के वाद में अंकित तथ्यों के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक, गादोला से मजमेआम में जांच करवाई गई। भू–अभिलेख निरीक्षक, गादोला द्वारा मजमेआम में पर्चा मौका तैयार किया जिसमें अंकित किया गया है कि '' मजमे आम शिविर में ग्राम केली के उपस्थित मौतबिरान से प्रहलाद पिता कन्हैयालाल व पुष्पकान्त पिता सत्यनारायण ब्राह्मण निवासी केली के कृषि भूमि में

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर

गादोला की भूमि के बंटवारें व मौका कब्जा की दूछताछ करने पर उपस्थित ने बताया कि ग्राम गादोला की 0.64 हैक्टेयर भूमि प्रहलाद पिता कन्हैयालाल के अकेले के हिस्से में आयी है। गादोला में पुष्पकान्त का कोई हिस्सा नहीं रखा है न ही पुष्पकान्त का गादोला की किसी भूमि पर कब्जा है। अतः ग्राम गादोला की स्थित वादग्रस्त 0.64 हैक्टेयर भूमि प्रहलाद की होने से श्री पुष्पकान्त का नाम हटाना उचित है।

3. केम्प स्थल ग्राम पंचायत, केली दिनांक 06.05.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने बयान दर्ज करवाये जिसमें अंकित किया गया हैं कि " मैं पुष्पकान्त पिता सत्यनारायण ब्राह्मण निवासी केली उम्र वयस्क पेशा कृषि होकर खाते की पुश्तेनी भूमि ग्राम केली व गादोला में थी। उसका हम सभी सहखातेदारों ने मिलकर सहमति से बंटवारा श्रीमान तहसीलदार सा. से राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 में करवाया था। जिसमें ग्राम गादोला की समस्त भूमि आराजी नम्बर 452 व 470 का सम्पूर्ण रकबा कन्हैयालाल जी के वारिसान प्रहलाद, शान्तिलाल व राधेश्याम के हिस्सा में रखी थी मेरे हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि ग्राम केली में रही है। ऐसा ही हमने बंटवारा कराते समय बताया था। मौका कब्जा भी इसी प्रकार होकर गादोला के किसी खेत में मेरा कब्जा या हिस्सा नहीं है। वर्तमान के आराजी नम्बर 452 रकबा 0.57 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 470 रकबा 0.07 कुल किता 2 रकबा 0.64 हैक्टेयर में मुझ पुष्पकान्त का 1/2 हिस्सा गलती से दर्ज हो गया इस पर सम्पूर्ण हक व कब्जा अकेले प्रहलाद पिता कन्हैयालाल का है। बंटवारा के समय गलती से मेरा नाम दर्ज हो गया था जिसे मैं स्वैच्छा से सोच समझ कर हटवाने में सहमत हूं। इस विषय में भविष्य में मैं किसी प्रकार का वाद विवाद या दावा गुजर नहीं करूंगा। अतः मेरा यह बयान प्रशासन गांव के संग मंहगाई राहत केम्प केली में मैंने दिया जो सही माना जाकर ग्राम गादोला की आराजी नम्बर 452 एवं 470 रकबा 0.64 हैक्टेयर में से मेरा नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण प्रहलाद पिता कन्हैयालाल के नाम दर्ज कर दिया जावे। मैंने यह बयान केम्प में मजमें आम में बिना किसी दबाव के सोच समझ कर दिया जो सभी मामलों में सही माना जावे। बयाननामा के अन्त में प्रतिवादी संख्या 1 एवं सरपंच ग्राम पंचायत केली आदि मौतबिरान व पारिवारिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किये है।

4. मंहगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प स्थल केली में दिनांक 06.05.2023 को वादी द्वारा भी बयाननामा लिखा गया जिसमें अंकित किया गया हैं कि " मैं प्रहलाद पिता कन्हैयालाल शर्मा निवासी केली उम्र वयस्क पेशा कृषि होकर यह बयान मजमें आम प्रशासन गांव के संग अभियान, केम्प स्थल केली में करता हूं कि हमारे परिवार की पुश्तैनी बाप दादाओं की कृषि भूमि ग्राम केली व गादोला में होकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2018 में सहमति बंटवारा दिनांक 25.05.2018 को तहसीलदार सा. से करवाया जिसमें गादोला की हाल आराजी नम्बर 452 व 470 रकबा 0.64 हैक्टेयर समस्त भूमि मेरे हिस्से में रही थी हमने सभी ने सहमत होकर इन आराजी नम्बर रकबा को अकेले मेरे हिस्से में ही रखने हेतु लिखा गया था मगर गलती से बंटवारा में उक्त में गलती से मेरे भतीजे पुष्पकान्त का नाम 1/2 दर्ज कर दिया जो आज तक दर्ज चला आ रहा है उसे हटाया जावे सम्पूर्ण रकबा उक्त 0.64 हैक्टेयर मुझ अकेले के नाम दर्ज कराना सही है। मौका पर कब्जा काश्त भी बंटवारा पूर्व से ही मेरे [illegible] पिता सत्यनारायण के हक व हिस्सा में ग्राम केली की आराजियात [illegible] रखकर बंटवारा कराया जो उसके नाम दर्ज होकर कब्जा काश्त है। [illegible] से गलत हुआ या पुष्पकान्त अपना हिस्सा उक्त [illegible] की भूमि [illegible] के नाम दर्ज कराने का अधिकारी होगा जिसमें मैं कोई [illegible] अन्त में वादी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:55 IST
Reason: SelfAttested

5. मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी स्वयं की बहस पर मनन किया। मंहगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 केम्प स्थल ग्राम पंचायत, केली में दिनांक 06.05.2023 को भू–अभिलेख निरीक्षक, गादोला द्वारा मजमेआम में बनाये गये पर्चे मौके का अवलोकन किया गया। पर्चा मौका से स्पष्ट होता हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पारिवारिक भूमि ग्राम केली एवं गादोला में स्थित थी। आपसी सहमति बंटवारे में

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

वादी के नाम ग्राम गादोला की भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ग्राम केली में स्थित कृषि भूमि हिस्से में आई थी। सहवन से वादी की ग्राम गादोला में स्थित कृषि आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित बयाननामा प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम गादोला की आराजी नम्बर 452 रकबा 0.57 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 470 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि वादी के कब्जे काश्त की होना स्वीकार करते हुए बंटवारा में उक्त आराजियात वादी के हिस्से में आने की सहमति दी साथ ही उक्त आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं ने अपना नाम विलोपित करने की सहमति प्रदान की। वादी द्वारा प्रस्तुत अपने बयाननामा में भी ग्राम गादोला की आराजी नम्बर 452 रकबा 0.57 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 470 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि बंटवारे से वादी के हिस्से में आना बताया गया है। साथ पत्रावली में बंटवारानामा की फोटो प्रतियां भी संलग्न हैं जिसमें वादग्रस्त आराजियात वादी के हिस्से में आना जाहिर है। अतः पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है ग्राम गादोला की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 673 में दर्ज आराजी नम्बर 452 रकबा 0.57 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 470 रकबा 0.07 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 श्री पुष्पकान्त पिता सत्यनारायण 1/2 ब्राहमण का नाम विलोपित करते हुए उक्त दोनों आराजियात सम्पूर्ण में वादी श्री प्रहलाद पिता कन्हैयालाल ब्राहमण सा. केली का नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

21/9/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:55 IST
Reason: SelfAttested